'PLURALISM'

(बहुलवाद)

सम्प्रभुता की विवेचना करते हुए बोंदा, ह्वॉक्स, हीगल, ऑस्टिन आदि विद्वानों द्वारा सम्प्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य में सम्प्रभुता होती है, सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं, और यह सर्वोच्च सत्ता राज्य की सत्ता होती है।

सम्प्रभुता की अद्वैतवादिता की इस धारणा के ~~विरुद्ध~~ विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ, उसे हम राजनीतिक बहुलवाद कहते हैं। इस प्रकार "बहुलवाद को सम्प्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाये रखना चाहती है, किन्तु राज्य की सम्प्रभुता का अन्त करना श्रेयस्कर मानती है।"

बार्कर का मत है कि "कोई भी राजनीतिक सिद्धान्त इतना निष्फल नहीं हुआ है जितना की प्रभुत्वसम्पन्न राज्य का सिद्धान्त निष्फल हो चुका है।"

अन्य विचारधाराओं के तरह बहुलवाद के भी कुछ मौलिक सिद्धान्त हैं, जो निम्न हैं —

(1) **राज्य केवल एक समुदाय है** — बहुलवादी राज्य को सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान तथा नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार राज्य अन्य समुदायों की भाँति ही एक समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राज्य का कार्य मुख्यतः जीवन के राजनीतिक पहलू से सम्बन्धित है और बहुलवादियों के अनुसार उसे अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए, जिससे अन्य समुदाय स्वतन्त्र रूप से व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का सर्वश्रेष्ठ विकास कर सके।

② बहुलवादी नियन्त्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं:-

मैकाइवर ने लिखा है कि "राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन या समविस्तार वाला नहीं कहा जा सकता है। राज्य का निर्माण तो समाज के अन्तर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ही किया गया है।"

बहुलवाद ऑस्टिन के असीमित सम्प्रभुता के सिद्धान्त के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यह असीमित सम्प्रभुता का खण्डन करता है और आन्तरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में सम्प्रभुता को सीमित मानता है।

③ बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतन्त्र तथा उच्च है:-

बहुलवादी कानून को राज्य से स्वतन्त्र तथा उच्च मानते हैं। उनके अनुसार कानून राज्य को सीमित करती है, न कि राज्य कानून को सीमित करता है। राज्य कानून का निर्माण नहीं करती वरन कानून राज्य का निर्माण करती है।

④ बहुलवादी विकेन्द्रीकरण में विश्वास करता है:- बहुलवादियों का विचार है कि राज्य अपनी केन्द्रित सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर विकेन्द्रित करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दे और इस प्रकार एक संघात्मक सामाजिक संगठन की स्थापना की जाय। इस प्रकार का संघात्मक सामाजिक संगठन ही मानवीय जीवन की बहिर्मुखी आवश्यकता को पूरा कर सकता है।

⑤ बहुलवादी राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है:- बहुलवादी राज्य की निरंकुश सत्ता का खण्डन तो करते हैं किन्तु अराजकतावाद की तरह उसे समूल नष्ट करने के पक्ष में नहीं हैं। वे राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण के कारण कहा जाता है

कि "बहुलवादी एक ओर अराजकता तथा दूसरी ओर अद्वैतवाद इन दोनों के बीच मध्यमार्ग अपनाने का प्रयत्न करता है।"

⑥ बहुलवाद एक जनतन्त्रात्मक विचारधारा है :— बहुलवाद राज्य के वर्तमान रूप का विरोधी होने पर भी जनतन्त्रात्मक प्रणाली का विरोधी नहीं है। उसका उद्देश्य तो सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतन्त्रात्मक राज्य की स्थापना करना है जिसके शासन-व्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो।

⑦ बहुलवाद एक व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है :— बहुलवादी विचारक जी० डी० एच० कोल प्रजातंत्र में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का विशेष समर्थक है। उनके अनुसार चुनाव क्षेत्र व्यवसाय के आधार पर ही निश्चित किये जाने चाहिए।

इन सबके अतिरिक्त बहुलवादी व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित है और यह सामान्य इच्छा के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता है।

आलोचना :— आलोचकों ने बहुलवाद की आलोचना कई दृष्टिकोणों से की है; जो निम्नलिखित है —

① बहुलवादी का तार्किक निष्कर्ष अराजकतावादी है :— बहुलवाद के विरुद्ध आलोचना का सबसे प्रमुख आधार यह है कि बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम अराजकता की स्थिति होगी। यदि प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लिया जाय और उन्हें सम्प्रभुता का आनुपातिक अधिकार भी समर्पित कर दिया जाय तो समाज में एक कानूनविहिन स्थिति उत्पन्न हो जायगी। बहुलवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि सम्प्रभुता को अनेक समुदायों में विभाजन तो नष्ट कर देगा।

(2) <u>बहुलवाद कुछ भ्रामक धारणाओं पर आधारित है</u>— बहुलवाद कुछ मिथ्या धारणाओं पर आधारित है। समाज में वर्तमान संगठन में विभिन्न हितों और आस्थाओं का पारस्परिक संघर्ष नितान्त स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यदि समाज में कोई अन्तिम वैधानिक सत्ता न हो तो विभिन्न समुदायों के पारस्परिक संघर्ष के कारण एक अशान्त वातावरण उत्पन्न हो जायगा, जिससे मानवीय प्रगति लगभग असंभव हो जायगी।

(3) <u>सभी समुदाय समान स्तर के नहीं है</u>— बहुलवादी विचारधारा के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इस विचारधारा में समाज के सभी समुदायों को समान स्तर का मान लिया गया है। वास्तव में, राज्य संस्था के अपने विशेष कार्यों के कारण उसकी स्थिति अन्य सभी समुदायों से भिन्न और विशेष होती है।

(4) <u>बहुलवाद अन्तरविरोधों से भरा है</u>— बहुलवाद अन्तरविरोध से भरा है। इस सम्बन्ध में कोकर ने लिखा है! "<u>यह बड़ा मनोरंजक अन्तर्विरोध है। अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए वे बड़े जोश के साथ प्रभुसत्ता का विरोध करते हैं और उसे राजनीति की शब्दावली तक से निकाल देना चाहते हैं, दूसरी ओर जब वे राज्य के वास्तविक संगठन का वर्णन करते हैं, तो उन्हें विवश होकर राज्य की सर्वोपरि स्थिति और प्रभुसत्ता को स्वीकार करना पड़ता है</u>।"

(5) <u>बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं होगा</u> — ~~बहुलवादियों~~ बहुलवादी की यह धारणा गलत है कि समुदायों पर से राज्य का नियन्त्रण हटा लेने से व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रतापूर्वक वातावरण उपलब्ध होगा। जो लोग समुदायों की स्वतंत्रता के नाम पर राज्य के

नियंत्रण का विरोध करते हैं वे अपने हाथ में सत्ता आने पर व्यक्ति के अधिकारों का दमन करने में राज्य से भी आगे बढ़ सकते हैं।

(6) राज्य संघों का संघ नहीं हो सकता — राज्य का निर्माण समुदायों से नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एक या अनेक समुदाय ~~समुदाय~~ मनुष्य की पूर्णता को अपने में नहीं सम्मिलित कर सकता और एक आदर्श राज्य व्यक्ति की पूर्णता की माँग करता है।

(7) बहुलवाद देशभक्ति विरोधी है — प्रभुसत्ता तथा राज्य के महत्व को कम करने तथा अपनी विचारधारा में अन्तरराष्ट्रीय होने के कारण बहुलवाद नागरिकों की देशभक्ति की भावना का विरोध करता है जिसे उचित और व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता है।

(8) बहुलवाद का कानून सम्बन्धी ~~सम्बन्धी~~ विचार गलत है — राज्य का आदेश मात्र होने से कोई नियम कानून नहीं बन सकता साथ ही यह भी सत्य है कि कोई भी नियम समाज में कितना भी मान्य क्यों न हो राज्य की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता है।

(9) अन्तर्राष्ट्रीयता के आधार पर सम्प्रभुता का विरोध उचित नहीं — यदि जनमत अथवा नैतिकता के दबाव से राज्य अन्तरराष्ट्रीय आचार - व्यवहार और कानून का पालन करता है, तो इससे उसकी सम्प्रभुता समाप्त नहीं हो जाती। अतः अन्तर्राष्ट्रीयता के आधार पर बहुलवादियों द्वारा सम्प्रभुता के सिद्धान्त का विरोध उचित नहीं हो सकता।

निष्कर्ष — इस प्रकार आलोचकों ने बहुलवाद का विरोध किया है। फिर भी सिद्धान्त का कुछ महत्व है। गेटेल ने कहा है कि " बहुलवाद कठोर और सैद्धान्तिक विधानवादिता तथा ऑस्टिन के सम्प्रभुता के सिद्धान्त के विरुद्ध एक सामाजिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है।

इस सम्बन्ध में डा० आशीर्वादम ने लिखा है कि " एक ऐसे सिद्धान्त के रूप में जो सम्प्रभुता के परम्परागत विचारों की ज्यादतियों को ठीक करता है, बहुलवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। पर जब वह सम्प्रभुता के सिद्धान्त को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करता है, तब यदि व्यर्थ नहीं तो खतरनाक अवश्य हो जाता है।"

— 0 —

डॉ० पूनम कुमारी
'राजनीति शास्त्र विभाग'
सर्व ना० सिंह राम कु० सिंह
महाविद्यालय सहरसा